<u>नीलामी नोटिस</u>

बस स्टैंड पिपली (कुरूक्षेत्र) के पीछे झाड़ीनुमा जंगल कटवाया गया है । कटवाये गये बालन की खुली नीलामी दिनांक 06.03.2018 समय 11–00 बजे को बस अड्डा पिपली के प्रांगण में होनी निश्चित की गई है । झाड़ीनुमा जंगल कटाई का बालन वजन के हिसाब से नीलाम किया जाएगा । इच्छुक योग्य बोलीदाता बोली में भाग ले सकते हैं । नीलामी की शर्तें किसी भी कार्य दिवस को इस कार्यालय के श्री ईशम सिंह, लिपिक मोबाईल नं0 9416228453 के पास देख सकते हैं ।

दिनांक :

हस्ताः

महा प्रबन्धक,

हरियाणा राज्य परिवहन, कुरूक्षेत्र।

हरियाणा राज्य परिवहन, कुरूक्षेत्र के बस स्टैंड पिपली में झाड़ीनुमा कटे जंगल के बालन की निलामी के बारे में आवेदन फॉर्म, नियम एवं शर्तें ।

<u>नीलामी की तिथि</u> : 06.03.2018

1. बोलीदाता का नाम एवं पता ....

....

2. बोलीदाता का फोन नं0 एवं ई–मेल ....

....

3. बोलीदाता का वन विभाग के पास रजिस्ट्रेशन नं0 (कॉपी सलंग्न) ....

<u>नियम एवं शर्तें</u>

प्रत्येक बोलीदाता के लिए निम्नलिखित नियम एवं शर्तें रहेंगी :

1. बोली देने वाले बोलीदाता निलामी की तिथि एवं समय से पहले नीलाम किए जाने वाले बालन का भली–भांति निरीक्षण करेगा । बोलीदाता वन विभाग से नियमानुसार पंजीकृत होना चाहिए ।

2. नीलामी किए जाने वाला बालन लगभग रू0 90000/– का होगा ।

3. बोलीदाता के लिए आवेदन फॉर्म खरीदना अनिवार्य होगा जिसकी कीमत 100/– रुपये रखी गई है ।

4. बोलीदाता को नीलामी में भाग लेने से पूर्व इस मौके पर इस कार्यालय के कैशियर के पास 10 हजार रुपये धरोहर राशी के रूप में जमा करवाने होंगे । असफल बोलीदाता को नीलामी समाप्त होने पर धरोहर राशी वापिस कर दी जाएगी ।

5. सफल बोलीदाता को मौके पर कुल नीलामी राशी का 25 प्रतिशत राशी जमा करवानी होगी । 25 प्रतिशत राशी में धरोहर राशी 10 हजार रुपये को भी एड़जस्ट कर लिया जाएगा । 25 प्रतिशत राशी को पूरा बालन उठने पर देय राशी में एड़जस्ट कर लिया जाएगा।

6. सफल बोलीदाता को बालन नीलामी दिन से अतिरिक्त 5 कार्य दिवसों के अन्दर–अन्दर उठवाना होगा । यदि 5 कार्य दिवसों के अन्दर–अन्दर पूरा बालन नहीं उठाया गया तो प्रतिदिन 2 हजार रुपये की दर से जुर्माना वसूल कर लिया जाएगा तथा यदि नीलामी तिथि के 10 दिन बाद भी पूरा बालन नहीं उठवाया जाता तो नीलामी राशी का जमा करवाया गया 25 प्रतिशत राशी जबत कर ली जाएगी । बालन उठाते समय बालन की मंजूर नीलामी दर के हिसाब से राशी कार्यालय में जमा करवानी होगी । नीलामी में प्राप्त उच्चतम दर में देय जी.एस.टी. का अलग से भुगतान करना होगा ।

7. नीलामी के बाद सफल बोलीदाता द्वारा बालन उठाने की सारी जिम्मेवारी सफल बोलीदाता की होगी । इस विषय में विभाग की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी ।

8. सफल बोलीदाता द्वारा नीलामी के बाद पिपली बस स्टैंड प्रांगण में बालन की छटाई / टुकड़े करना मना है ।

9. नीलामी बालन की वजन के हिसाब से उच्चतम दर के हिसाब से मंजूर की जाएगी। नीलामी की दर रुपये पर किवंटल के हिसाब से देनी होगी । लॉट के हिसाब से बोली नहीं होगी ।

10. नीलामी के लिए खरीदा हुआ फॉर्म वापिस नहीं होगा न ही उसकी राशी वापिस होगी ।

11. नीलामी शुरू होने से पूर्व या नीलामी हो जाने के बाद भी नीलामी को रद्द करने का अधिकार कमेटी/महाप्रबन्धक, हरियाणा राज्य परिवहन, कुरूक्षेत्र को होगा जोकि बिना कारण बताये नीलामी को रद्द कर सकते हैं ।

हस्ताः

महा प्रबन्धक,

हरियाणा राज्य परिवहन, कुरूक्षेत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने उपरोक्त सभी नियम एवं शर्तें पूरी तरह से पढ़ ली हैं तथा समझ ली हैं इसके अलावा पिपली बस स्टैंड पर कटा हुआ बालन का निरीक्षण भी कर लिया है । इस प्रकार मैं सभी नियम एवं शर्तों से सहमत हूँ तथा मानता हूँ ।

हस्ताक्षर

बोलीदाता का नाम एवं पता